

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 012 सन 2022

अनवान :-

1. कमला पुत्री बालाराम पत्नि कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी  
निर्णय दिनांक :- 24/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 148/157 के खसरा न० 11/0.2530 , खसरा न० 144/1 की 4.9320हैक् कुल 5.1850हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है


प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण कमा पुत्री बालाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर हाल निवासी जबरासर है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर हाल निवासी जबरासर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 148/157 के खसरा न० 11/0.2530 , खसरा न० 144/1 की 4.9320हैक् कुल 5.1850हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम कमा पुत्री बालाराम के स्थान पर कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर हाल निवासी जबरासर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 148/157 के खसरा न० 11/0.2530 , खसरा न० 144/1 की 4.9320हैक् कुल 5.1850हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण कमा पुत्री बालाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर हाल निवासी जबरासर है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर हाल निवासी जबरासर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 148/157 के खसरा न0 11/0.2530 ,खसरा न0 144/1 की 4.9320हैक् कुल 5.1850हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थीया का नाम कमा पुत्री बालाराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात पेरोकार का जबाब पेश किया है जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 148/157 के खसरा न0 11/0.2530 ,खसरा न0 144/1 की 4.9320हैक् कुल 5.1850हैक् भूमि में प्रार्थीया का नाम कमा पुत्री बालाराम के स्थान पर कमा उर्फ कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर हाल निवासी जबरासर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/04/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ी )  
नोहर

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 01/2022 अनवानी कमला बनाम सरकार में पारित  
निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट निवासी  
पाण्डुसर हाल निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला  
हनुमानगढ ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला  
हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 01/2022 अनवानी कमला बनाम  
सरकार में दिनांक 24/02/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार  
किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 148/157 के खसरा न0 11/0.2530 ,खसरा  
न0 144/1 की 4.9320 हैक् कुल 5.1850 हैक् भूमि में प्रार्थीया का नाम कमा पुत्री बालाराम के  
स्थान पर कमा उर्फ कमला पुत्री बालाराम पत्नी कासीराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर हाल  
निवासी जबरासर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में  
संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )